सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीराराम बनाम रामेती

30-8-13 अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला के आदेश दिनांक 11–03–2014 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व पारित की गई तथा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई व तत्पश्चात् दिनांक 09–04–2014 अप्रार्थीगण को नोटिस हेतु निर्धारित की गई। चूंकि उक्त आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपील के इस स्तर पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है व प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा दोनों पक्षों की बहस सुनकर एक माह में निस्तारण करें। उभय पक्षों को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर